25/06/25

अधिवक्ता उभयपक्ष सुने। प्रकरण में और अपील आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष पूर्व में विचाराधीन मूल वाद को आदेश 09 नियम 5 cpc के तहत अदम तकमील में खारिज किया गया है एंव अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध उक्त अपील हाज़ा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जबकि कानूनन ऐसे आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील कानूनन हाज़ा न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं है। अतः उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

अपील प्राधिकारी
पाली